

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 974]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 — पौष 1, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (93).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15—क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची में, 1 अप्रैल, 2026 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची में,—

(क) अनुक्रमांक 6 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शब्द एवं अंक “8.5 प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “न्यून प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (93).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (93), दिनांक 17-12-2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th December 2025

NOTIFICATION

F.N. RULE/716/2025-COMTAX SECTION (93).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Schedule to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) with effect from 1st April, 2026, namely:-

AMENDMENT

In the Schedule to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),-

- (a) In column (3) of serial number 6, for the words and figures “8.5 percent”, the words “Nil” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.